झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
(पत्र पेटेंट अपीलीय क्षेत्राधिकार)
एल.पी.ए. संख्या 318/2022

1. झारखंड राज्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर: धुर्वा, थाना: जगन्नाथपुर, जिला: रांची में है।
2. उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर, रांची, डाकघर कोतवाली, थाना: जी.डाकघर, जिला- रांची
3. अंचल अधिकारी, नगरी अंचल, नगरी, डाकघर: नगरी, थाना: नगरी, जिला-रांची

.........अपीलकर्ता

बनाम

मोहम्मद जुल्फान अंसारी, पुत्र स्वर्गीय मुस्लिम अंसारी, निवासी गांव व डाकघर: पुंदाग, थाना: जगन्नाथपुर, जिला-रांची ....प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 231/2022

चिंतामणि ट्रस्ट अपने अध्यक्ष, बारा लाल गोविंद नाथ शाहदेव, उम्र लगभग 77 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय बारा लाल कृष्ण नाथ शाहदेव के माध्यम से, पालकोट निवासी, डाकघर और थाना पालकोट, जिला गुमला

.... अपीलकर्ता

बनाम

1. सूरजदेव सिंह पुत्र स्वर्गीय मंगलू सिंह निवासी, गांव दमकारा, डाकघर और थाना पालकोट, जिला गुमला
2. झारखंड राज्य
3 उपायुक्त, रांची, डाकघर और थाना रांची, जिला रांची
4. अंचल अधिकारी, रातू अंचल, रांची, डाकघर और थाना रातू, जिला रांची अब नगरी अंचल, डाकघर और थाना नगरी, जिला रांची ....प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 319/2022

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, रांची, डाकघर, थाना एवं जिला: रांची
3. उप समाहर्ता, भूमि सुधार, रांची, डाकघर, थाना एवं जिला रांची
4. अंचल अधिकारी, रातू अंचल, (वर्तमान में अंचल अधिकारी, नगरी), डाकघर एवं थाना: नगरी, जिला रांची ....अपीलकर्ता

बनाम

इकबाल हुसैन, पुत्र अफजल हुसैन ....प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 320/2022

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, रांची, डाकघर, थाना और जिला: रांची

3. अंचल अधिकारी, रातू अंचल (अब नगरी), डाकघर और थाना नगरी, जिला रांची

.... अपीलकर्ता

बनाम

धर्मेश सिंह, पुत्र शिव शंकर प्रसाद सिंह, निवासी क्वार्टर नंबर एच/28, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, डाकघर एवं थाना अरगोड़ा, जिला: रांची

.... प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 369/2022

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, रांची, डाकघर, थाना एवं जिला: रांची
3. भूमि सुधार उप समाहर्ता, रांची, डाकघर एवं थाना: रांची, जिला रांची।
4. अंचल अधिकारी, रातू एट नगरी (वर्तमान में अंचल अधिकारी, नगरी), डाकघर एवं थाना नगरी, जिला रांची .... अपीलकर्ता

बनाम

ललिता देवी, पत्नी श्री सत्य नारायण प्रसाद, निवासी हाउस नंबर 150, लेटेंगा टोली, लतमा रोड, हटिया, डाकघर हटिया, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची ....प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 406/2022

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, रांची, डाकघर, थाना और जिला: रांची
3. भूमि सुधार उप समाहर्ता, रांची, डाकघर, थाना और जिला रांची।
4. अंचल अधिकारी, रातू अंचल, जिसे अब नगरी अंचल के नाम से जाना जाता है, डाकघर और थाना नगरी, जिला रांची। .... अपीलकर्ता

बनाम

फुलवंती देवी, पत्नी लक्ष्मण राम, निवासी क्वार्टर संख्या सी.डी. 7 सेक्टर-II, धुर्वा, डाकघर धुर्वा और थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची ....प्रतिवादी

न्यायालय: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति नवनीत कुमार

अपीलकर्ता(ओं) की ओर से: श्री अजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री चंचल जैन, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: मेसर्स रत्नेश कुमार [एससी (एलएंडसी)-I], राकेश कुमार शाही, [एसी से एससी (एलएंडसी)-I], आदित्य रमन (एसी से जीए III)

प्रतिवादी(ओं) की ओर से: मेसर्स मनोज टंडन, एच.के. शिकारवार, विजय रॉय, सुमित गाड़ोदिया, शिल्पी संडील गाड़ोदिया, अरुण कुमार, श्रुति शेखर, अनुपमा कुमारी, प्रभात सिंह, इंद्राणी सेन चौधरी, अधिवक्ता

हस्तक्षेपकर्ता के लिए: श्री आर.एस. मजूमदार, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री निशांत कुमार रॉय, अधिवक्ता

----

9 अप्रैल 2024

प्रति, श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे.

वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपीलों को पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिए दायर अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई की जा रही है।

2. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और इन मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और देरी को माफ करने की मांग करने वाले इन अंतरिम आवेदनों में दिखाए गए कारणों पर विचार करने के बाद, हम वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपीलों को पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त आधार पाते हैं और तदनुसार, एल.पी.ए. संख्या 318/2022 में आई.ए. संख्या 7250/2023, एल.पी.ए. संख्या 319/2022 में आई.ए. संख्या 7246/2023, एल.पी.ए. संख्या 320/2022 में आई.ए. संख्या 7248/2023, एल.पी.ए. संख्या 369/2022 में आई.ए. संख्या 7247/2023 तथा एल.पी.ए. संख्या 406/2022 में आई.ए. संख्या 7249/2023 को अनुमति दी गई है।

3. लेटर्स पेटेंट अपील के इस बैच में, झारखंड राज्य रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को इस आधार पर चुनौती देना चाहता है कि भूमि संपत्ति में अधिकार, शीर्षक और हित के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्नों पर रिट कार्यवाही में निर्णय नहीं लिया जा सकता है और वह भी तब, जब जालसाजी और अभिलेखों के निर्माण के गंभीर आरोप लगाए गए हों। एलपीए संख्या 231/2022 में, चिंतामणि ट्रस्ट विविध मामले संख्या 50(आर)-15/2009-10 में पारित दिनांक 22 अक्टूबर 2012 के आदेश में रिट कोर्ट के हस्तक्षेप से व्यथित है, जिसके तहत सूरजदेव सिंह के नाम पर खोली गई जमाबंदी को रद्द कर दिया गया था। सूरजदेव सिंह द्वारा दायर डब्लू.पी.(सी) संख्या 7595/2012 में पारित दिनांक 18 अप्रैल 2022 के आदेश को झारखंड राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इस कारण से, उक्त प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री सुमीत गाडोदिया ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को सूरजदेव सिंह के दावे को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने चिंतामणि ट्रस्ट द्वारा दायर इस लेटर्स पेटेंट अपील का विरोध करने के लिए इस प्रतिवादी की ओर से अन्य स्वतंत्र प्रस्तुतियाँ दी हैं, जिन पर हम अलग से विचार करेंगे।

4. आगे बढ़ने से पहले, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि निजी प्रतिवादियों ने रिट कोर्ट में शिकायत की थी कि राज्य के अधिकारी उनसे किराया स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उन्हें किराया रसीदें जारी नहीं कर रहे हैं या उनके नाम पर जमाबंदी को वैधानिक प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में रद्द कर दिया गया है, या उनके खिलाफ बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (एच) के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। हम आगे यह भी बता सकते हैं कि ये सभी मामले और अन्य मुकदमे जो इस न्यायालय में आए, वे राजधानी रांची के पुंदाग गांव में खेवट नंबर 2 के खाता नंबर 383 के अंतर्गत शामिल भूमि से संबंधित थे। सुविधा के लिए, इन लेटर्स पेटेंट अपीलों से संबंधित कुछ विवरण नीचे एक सारणीबद्ध चार्ट में सूचीबद्ध किए गए हैं:

क्रम संख्या	रिट याचिका	भूमि विवरण	चुनौती के तहत आदेश/मांगी गई राहत
1	W P (C) संख्या 5365/2014	खाता संख्या 383, खेवट संख्या 2, प्लॉट संख्या 496, क्षेत्रफल एक एकड़ और प्लॉट संख्या 718, क्षेत्रफल 5 एकड़, पुंडाग गांव	विविध मामला संख्या 07/2010-11, टी.आर. संख्या 94/2010-11
2	W P (C) संख्या 7595/2012	खाता संख्या 383, प्लॉट संख्या 496, खेवट संख्या 2, पुंडाग गांव में 7 एकड़ का क्षेत्रफल	विविध मामला संख्या 50R 15/2009-10 में दिनांक 22.10.2012 का आदेश
3	W P (C) संख्या 3878/2012	खाता संख्या 383, प्लॉट संख्या 303, 1722, 1723 और 1724, मौजा पुंडाग का रकबा 2.90 एकड़	किराए की रसीद के लिए
4	W P (C) संख्या 1262/2010	खाता संख्या 383, प्लॉट संख्या 260, सब-प्लॉट संख्या 260/ए-3, पुंडाग गांव में रकबा 3.75 कट्ठा	म्यूटेशन और किराए की रसीद के लिए
5	W P (C) संख्या 7967/2012	खाता संख्या 383, प्लॉट संख्या 260, पुंडाग गांव में 9.75 दशमलव क्षेत्रफल	ज्ञापन संख्या 1203 दिनांक 12.07.2004 / किराया रसीद जारी करना
6	W P (C) संख्या 7972/2012	खाता संख्या 383, प्लॉट संख्या 260, पुंडाग गांव में 10 दशमलव क्षेत्रफल	ज्ञापन संख्या 1203 दिनांक 12.07.2004 / किराया रसीद जारी करना

<u>एल.पी.ए. संख्या 318/2022</u>

5. मो. जुल्फान अंसारी ने रांची जिले के पुंदाग गांव (थाना नंबर 228) में स्थित खेवट नंबर 2 के खाता नंबर 383 में प्लॉट नंबर 496 में शामिल लगभग एक एकड़ और प्लॉट नंबर 718 में शामिल लगभग पांच एकड़ जमीन पर अधिकार, शीर्षक और हित का दावा करते हुए टी.आर. संख्या 94/2010-11 से संबंधित विविध वाद संख्या 7/2010-11 की कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती देने के लिए डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 5365/2014 दायर किया है कि झारखंड राज्य के पास पिछली न्यायिक कार्यवाही में न्यायनिर्णित उनके पिता के अधिकारों को फिर से खोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके अनुसार, मो. मुस्लिम अंसारी जो उनके पिता थे, ने उपरोक्त भूमि पर अधिकार, शीर्षक और हित का दावा किया (सी) संख्या 2496/2002 ने अतिरिक्त कलेक्टर को निर्देश जारी किया कि वे रांची में भूमि सुधार उप कलेक्टर के माध्यम से जांच के बाद निर्णय लें। रिट कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में, अतिरिक्त कलेक्टर ने 12 दिसंबर 2005 को एक प्रतिकूल आदेश पारित किया, जिसे उनके पिता ने डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 1119/2006 में चुनौती दी। उनके पिता ने एक दलील पेश की कि शेख सहमत और शेख अजमत द्वारा 9 जनवरी 1947 को एक पंजीकृत कबूलियत निष्पादित की गई थी और उनके नाम केस नंबर 210 आर 8 (II) / 1983-84 के अनुसार रजिस्टर-II में दर्ज किए गए थे। हालांकि, यह

पाया गया कि विषयगत भूमि (इसके बाद विषयगत संपत्ति-I के रूप में संदर्भित) रामदास सिन्हा, पुत्र सहदेव नारायण सिन्हा के नाम पर केस संख्या 4 आर 8 (II) वर्ष 1983-84 के अनुसार दर्ज की गई थी और उक्त भूमि बुरमु अंचल के हुटार गांव के अंतर्गत आती थी। उस कारण से, अतिरिक्त कलेक्टर ने एक राय बनाई कि शेख सहामत और शेख अजमत के नाम पर बनाई गई जमाबंदी संदिग्ध थी। रिट कोर्ट के समक्ष, केस संख्या 4 आर 8 (II) वर्ष 1983-84 से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए थे और, इसलिए, रिट कोर्ट अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य थी। डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1119/2006 में पारित आदेश को लेटर्स पेटेंट कोर्ट ने एल.पी.ए. संख्या 474/2006 के तहत मामला दायर किया गया था और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील अनुमति (सिविल) संख्या 8279/2009 के तहत पुष्टि की गई थी।

6. फिर भी, झारखंड राज्य ने पुंदाग गांव में खेवट नंबर 2 में खाता नंबर 383 के प्लॉट नंबर 496 और 718 में शामिल विषय संपत्ति-I के संबंध में बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(एच) के तहत कार्यवाही शुरू की। रिट कोर्ट ने पिछली न्यायिक कार्यवाही पर ध्यान दिया जिसके तहत मोहम्मद जुल्फान अंसारी को किराए की रसीदें जारी की गई थीं, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मोहम्मद जुल्फान अंसारी के खिलाफ 4(एच) कार्यवाही शुरू करना अवैध था और रांची के डिप्टी कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया कि 30 दिनों के भीतर उनके पक्ष में किराए की रसीदें जारी की जाएं।

7. विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री रत्नेश कुमार ने रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों की प्रमाणित प्रति का हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि पुंदाग गांव में खेवट संख्या 2 के अंतर्गत खाता संख्या 383 के प्लॉट संख्या 496 और 718 के संबंध में रिटर्न छह अन्य व्यक्तियों के नाम पर प्रस्तुत किए गए थे, न कि मुस्लिम अंसारी या शेख सहामत या शेख अजमत के पिता के नाम पर।

8. हालांकि, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 5365/2014 में रिट न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

> "इस प्रकार, इस अदालत की राय है कि एक बार मामला सुप्रीम कोर्ट में सुलझ जाने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए नए सिरे से आदेश पारित करना उचित नहीं होगा, सिवाय इसके कि डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 119/2006 में पारित एकल न्यायाधीश के आदेश की इस अदालत के माननीय खंडपीठ के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, ऐसे में राजस्व प्राधिकारी के पास याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में बाधा डालने वाला कोई आदेश पारित करने का कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है। इस पर विचार करने के बाद, कि एक बार जमाबंदी रद्द करने के आदेश को इस अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है, खंडपीठ द्वारा पुष्टि की गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (एच) के तहत कार्यवाही शुरू करना कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। समन्वय पीठ ने पिछली रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1119/2006 में राज्य को पहले ही यह छूट दे दी है कि राज्य सक्षम न्यायालय के समक्ष कानूनी सहारा ले सकता है, ऐसे में पूरी कार्यवाही को रद्द किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर, रांची के न्यायालय में लंबित विविध वाद संख्या 7/2010-11, टी.आर. संख्या 94/2010-11 (अनुलग्नक-16) की पूरी कार्यवाही को रद्द किया जाता है।
>
> हालांकि, प्रतिवादी (ओं)-राज्य किराया रसीद जारी करने के लिए बाध्य है और इसके अलावा राज्य नागरिक अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय से संबंधित भूमि के स्वामित्व की घोषणा के बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकता है, जैसा कि डब्ल्यू.पी. (सी)

संख्या 1119/2006 में पारित दिनांक 09.08.2006 के आदेश के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

इसके अलावा, रांची के उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में किराया रसीद जारी की जानी चाहिए और राज्य प्राधिकारियों द्वारा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जब तक कि सक्षम नागरिक न्यायालय यह घोषित नहीं कर देता कि याचिकाकर्ता का संबंधित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है।

तदनुसार, तत्काल रिट याचिका स्वीकार की जाती है।"

<u>एल.पी.ए. संख्या 319/2022</u>

9. डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3878/2012 में, अफजल हुसैन, जिनका प्रतिनिधित्व अब उनके बेटे के माध्यम से किया जाता है, ने रांची जिले के पुंदाग गांव में खेवट नंबर 2 के खाता नंबर 383 में प्लॉट नंबर 1722, 303, 1723 और 1724 में शामिल विषयगत संपत्ति-II पर दावा किया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2.90 एकड़ है। उनका कहना था कि पूर्व जमींदार बरालाल कंदर्प नाथ शाहदेव द्वारा 27 अप्रैल 1949 को पंजीकृत कबूलियत के आधार पर विषयगत संपत्ति-II उनके पिता मियां जान के पास आई थी। अफजल हुसैन के अनुसार, उनके पिता ने विषयगत संपत्ति-II पर शांतिपूर्ण कब्ज़ा कर लिया और वर्ष 1984 तक किराया दिया। अफजल हुसैन ने इस न्यायालय द्वारा W .P.(C) संख्या 1119/2006 में पारित आदेश पर भी भरोसा किया, जिसका शीर्षक था "मुस्लिम @ मोहम्मद मुस्लिम अंसारी बनाम झारखंड राज्य और अन्य", जिसका राज्य के वकील ने पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न के आधार पर खंडन किया है। विद्वान राज्य वकील श्री रत्नेश कुमार ने प्रस्तुत किया कि मूल अभिलेखों से पता चलता है कि प्लॉट संख्या 1722, 303, 1723 और 1724 के संबंध में रिटर्न कभी दाखिल नहीं किए गए और मियां जान अली का नाम उनके अंतर्गत दर्ज नहीं है।

10. यद्यपि, रिट न्यायालय ने दर्ज किया कि खाता संख्या 383 के अंतर्गत शामिल भूमि के संबंध में कई अन्य मुकदमें भी हुए हैं, लेकिन उसने राज्य प्राधिकारियों को अफजल हुसैन के पक्ष में किराया रसीदें जारी करने का निर्देश दिया, तथा झारखंड राज्य के इस तर्क को दरकिनार कर दिया कि उसने धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से किराया रसीदें प्राप्त की थीं।

11. डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3878/2012 में रिट न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया:

> "शंकर राजू (सुप्रा) और कुन्हयाम्मद (सुप्रा) के दृष्टिकोण से, इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश, जिसकी पुष्टि इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की गई है, अंचल अधिकारी और राज्य प्राधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। राज्य का भी यह दायित्व है कि वह इसका पालन करे और अपनी मुकदमा नीति के तहत ऐसे आदेश को वापस ले जो उपायुक्त, रांची द्वारा बिना किसी आधार के पारित किया गया है, जिसके तहत जमाबंदी को बिना किसी वैध कारण के खाता संख्या-383, मौजा-पुंडाग, जिला-रांची से संबंधित संदिग्ध दिखाया गया है, ताकि मुकदमेबाजी को कम किया जा सके और इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं की बहुलता को रोका जा सके।
>
> तदनुसार, तीनों रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है।

राज्य प्राधिकरण को आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर किराया रसीदें जारी करने का निर्देश दिया जाता है। राज्य उपर्युक्त भूमि के संबंध में याचिकाकर्ता या उसके उत्तराधिकारी के शांतिपूर्ण कब्जे में तब तक कोई बाधा नहीं डालेगा, जब तक कि राज्य सक्षम न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में डिक्री प्राप्त नहीं कर लेता।"

एल.पी.ए. संख्या 320/2022, 369/2022 और एल.पी.ए. संख्या 406/2022

12. 21 फरवरी 2022 के एक सामान्य आदेश द्वारा, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1262/2010, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 7967/2012 और डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 7972/2012 को निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुमति दी गई:

"सभी तीन मामलों डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 1262/2010, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 7967/2012 और डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 7972/2012 में याचिकाकर्ता धर्मेश सिंह, ललिता देवी और फुलवंती देवी ने एस.के. नजीब द्वारा किए गए हस्तांतरण के आधार पर अपना स्वामित्व का दावा किया है।

डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 1262/2010 में याचिकाकर्ता धर्मेश सिंह ने गांव-पुंडाग में स्थित खाता संख्या 383 के उप-प्लॉट संख्या 260/ए/3 के प्लॉट संख्या 260 की 3.75 कट्ठा जमीन पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 02.03.2002 के आधार पर आशा बाई कोचर से खरीदी है।

आशा बाई कोचर ने खाता संख्या 383 के उप-प्लॉट संख्या 260/ए/3, जो कि पुंडाग गांव में स्थित है, के प्लॉट संख्या 260 की 50 डेसीमल जमीन दिनांक 15.03.1967 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से एस.के. नजीब से खरीदी है और उनके नाम को विविध वाद संख्या 2आर27/1977-78 के तहत म्यूटेशन किया गया है, जिसे अनुलग्नक-2 के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया है, ऐसे में राज्य प्राधिकारी याचिकाकर्ता के पक्ष में किराया रसीद जारी करने के लिए बाध्य हैं।

डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 7967/2012 में, मूल रिट याचिकाकर्ता ललिता देवी की मृत्यु हो गई है और उनके स्थान पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को नियुक्त किया गया है, अर्थात् (i) सतनारायण प्रसाद, स्वर्गीय नंद लाल साह के पुत्र और स्वर्गीय ललिता देवी के पति, (ii) उमेश प्रसाद, (iii) राजेश प्रसाद, (iv) मुकेश प्रसाद, (ii) से (iv) सतनारायण प्रसाद और स्वर्गीय ललिता देवी के सभी पुत्र और (v) रीता, सतनारायण प्रसाद और स्वर्गीय ललिता देवी की पुत्री। ललिता देवी ने 05.11.1985 को पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत एस.के. नजीब से 9¾ डेसीमल जमीन खरीदी है और उसके बाद म्यूटेशन केस संख्या 126आर-27/93-94 के तहत म्यूटेशन आदेश पारित किया गया और अनुलग्नक-6 के तहत लगान रसीद जारी की गई है, ऐसे में राज्य प्राधिकारियों को लगान रसीद जारी करने से रोकने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जिससे राज्य को राजस्व की हानि हो रही है।

जहां तक डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 7972/2012 का संबंध है, याचिकाकर्ता - फुलवंती देवी, पत्नी लक्ष्मण राम ने भी एस.के. नजीब से 10 डेसीमल जमीन पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 05.11.1985 के तहत खरीदी है और उसके बाद उसके दाखिल खारिज मामले को भी दाखिल खारिज मामले संख्या 124आर27/1993-94 के तहत अनुमति दी गई, ऐसे में राज्य प्राधिकारी याचिकाकर्ता के पक्ष में किराया रसीद जारी करने के लिए बाध्य हैं।

तदनुसार, तीनों रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है क्योंकि अब तक एस.के. नजीब का स्वामित्व और कब्जा निर्विवाद और अप्रभावित है।

राज्य प्राधिकारी को आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर किराया रसीद जारी करने का निर्देश दिया जाता है और किराया रसीद याचिकाकर्ताओं द्वारा भूमि का दावा करने की तारीख से आज तक और भविष्य में अपीलीय न्यायालय या किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित होने तक बिना किसी रुकावट के जारी की जाएगी।

13. डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1262/2010 में धर्मेश सिंह ने विषयगत संपत्ति-III पर दावा किया है, जो पुंडाग गांव में खेवट संख्या 2 के अंतर्गत खाता संख्या 383 के प्लॉट संख्या 260 में लगभग 1.75 एकड़ है। धर्मेश सिंह द्वारा प्रस्तुत दावा यह था कि उक्त भूमि का निपटान 1 जून 1945 के हुकुमनामा के आधार पर पूर्व जमींदार द्वारा शेख नजीब के पक्ष में किया गया था, जिसके बाद कब्जे की डिलीवरी और किराए की रसीद उनके पक्ष में दी गई थी।

14. डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 7967/2012 में ललिता देवी द्वारा प्रस्तुत दावा यह था कि उन्होंने खाता संख्या 383 (विषय संपत्ति-IV) के अंतर्गत प्लॉट संख्या 260 में 9¾ डेसीमल भूमि, 5 नवंबर 1985 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से एस.के. नजीब से गांव पुंदाग में खरीदी थी और वर्ष 1994-95 तक किराया रसीदें उनके पक्ष में जारी की गई थीं।

15. डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 7972/2012 में फुलवंती देवी ने दलील दी कि उन्होंने 5 नवंबर 1985 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से ग्राम पुंदाग में खाता संख्या 383 (विषय संपत्ति-वी) के तहत प्लॉट संख्या 260 में 10 डेसीमल जमीन खरीदी थी। बाद में, उन्होंने म्यूटेशन केस संख्या 124आर27/93-94 के तहत म्यूटेशन के लिए आवेदन किया और उनके पक्ष में किराया रसीदें जारी की गईं।

16. विद्वान सरकारी वकील श्री रत्नेश कुमार ने प्रस्तुत किया कि खेवट संख्या 2 के खाता संख्या 383 में प्लॉट संख्या 260 के अंतर्गत शामिल उपरोक्त विषयगत संपत्तियों के संबंध में कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था।

एल.पी.ए. संख्या 231/2022

17. पुंदाग गांव में खेवट नंबर 2 के खाता संख्या 383 में प्लॉट संख्या 496 से संबंधित लगभग 7 एकड़ की विषय संपत्ति-VI के संबंध में किराया रसीद जारी करने के लिए राज्य-प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करते हुए, प्रतिवादी-सूरजदेव सिंह ने डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 4484/2007 में रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके द्वारा दलील दी गई कि वर्ष 2004 में उनके पिता की मृत्यु के बाद, झारखंड राज्य के अधिकारियों ने किराया स्वीकार करने और उन्हें किराया रसीद जारी करने से इनकार कर दिया। विवश होकर उन्होंने W P (C) संख्या 4484/2007 के तहत रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिट याचिका का निपटारा 4 फरवरी 2008 के आदेश द्वारा किया गया जिसमें प्रतिवादी-प्राधिकारियों को उन्हें किराया रसीद जारी करने का निर्देश इस आधार पर दिया गया कि वे मनमाने ढंग से किराया स्वीकार करने और किराया रसीद देने से इनकार नहीं कर सकते थे जब तक कि जमाबंदी अवैध न पाई जाए या कानून में स्थापित प्रक्रिया का पालन करके सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा रद्द न कर दी जाए। हालांकि, रांची के उपायुक्त ने विविध वाद संख्या 50आर 15/2009-10 के तहत कार्यवाही शुरू की और उनके नाम से खोली गई मांग को 22 अक्टूबर 2012 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया। यह आदेश 2012 के डब्लूपी(सी) संख्या 7595/2012 दायर करके दूसरे दौर में चुनौती दी गई।

18. दूसरे दौर में, सूरजदेव सिंह ने दलील दी कि विषयगत संपत्ति-V। को वर्ष 1940 में भूतपूर्व जमींदार द्वारा उनके पिता के पक्ष में बंदोबस्त किया गया था, जिन्हें किरायेदार के रूप में मान्यता दी गई थी और उनके पिता के नाम को दर्शाते हुए पूर्व मध्यस्थ द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया था। उन्होंने आगे दलील दी कि फॉर्म-एम तैयार किया गया था और उनके पिता के नाम पर जमाबंदी खोली गई थी और, मुआवजा वाद संख्या 5 वर्ष 1952-53 में उनके पिता का नाम खाता संख्या 383 में प्लॉट संख्या 496 के अंतर्गत विषयगत संपत्ति- V। के संबंध में रैयत के रूप में दर्ज किया गया था। दूसरी ओर, चिंतामणि ट्रस्ट ने दलील दी कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत वाद संख्या 1 वर्ष 1955-56 के तहत एक कार्यवाही शुरू की गई थी और यह कार्यवाही उनके पक्ष में समाप्त हुई थी, जिसमें माना गया था कि बरलाल कंदर्प नाथ शाहदेव द्वारा बनाया गया ट्रस्ट वास्तविक था। रिट कोर्ट के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में चिंतामणि ट्रस्ट ने प्रतिवादी के विषयगत संपत्ति-V। पर कब्जे को विवादित बताया है। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि भूतपूर्व जमींदार ने पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए 20 अगस्त 1948 को पंजीकृत ट्रस्ट डीड के माध्यम से चिंतामणि ट्रस्ट बनाया और विषयगत संपत्ति-V। और अन्य संपत्तियों के संबंध में ट्रस्टियों की नियुक्ति करके अपरिवर्तनीय अनुदान दिया।

19. 18 अप्रैल 2022 के आदेश द्वारा, रिट कोर्ट ने विविध मामला संख्या 50(आर) 15/2009-10 में डिप्टी कमिश्नर द्वारा पारित 22 अक्टूबर 2012 के आदेश में हस्तक्षेप किया और यह टिप्पणी की कि यदि चिंतामणि ट्रस्ट का विषय संपत्ति-V। पर कोई दावा है तो वह सिविल अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

20. W P (C) संख्या 7595/2012 में रिट न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दियाः

> "पक्षकारों के प्रतिद्वन्द्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि W.P.(C) संख्या 4484/2007 में पारित दिनांक 04.02.2008 के आदेश के अनुसार, रांची के उपायुक्त को प्रतिवादी संख्या 4, चिंतामणि ट्रस्ट के ऐसे आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था, जिसे विविध मामला संख्या 50 आर 15/2009-10 के रूप में पंजीकृत किया गया है। यदि चिंतामणि ट्रस्ट को याचिकाकर्ता के स्वामित्व के संबंध में कोई आपत्ति है, तो चिंतामणि ट्रस्ट सक्षम न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र है।
>
> तदनुसार, विविध वाद संख्या 50 आर 15/2009-10 में रांची के उपायुक्त द्वारा पारित दिनांक 22.10.2012 के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा उसे अलग रखा जाता है, क्योंकि चिंतामणि ट्रस्ट द्वारा भूमि हस्तांतरण के संबंध में पहले ही बड़ी संख्या में मामलों का निर्णय हो चुका है।
>
> राजस्व प्राधिकारी, झारखंड राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता या उसके हित-उत्तराधिकारी के पक्ष में किराया रसीद जारी करें, जब तक कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा चिंतामणि ट्रस्ट के पक्ष में डिक्री पारित नहीं कर दी जाती।
>
> इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है।"

21. विद्वान वकील श्री सुमीत गाड़ोदिया ने कहा कि चिंतामणि ट्रस्ट केवल प्रार्थना करने और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने के उद्देश्य से बनाया गया था और यह वार्षिकी राशि प्राप्त करना जारी रखता है और सूरजदेव सिंह द्वारा विषय संपत्ति-VI पर दावा किए गए अधिकार, शीर्षक और हित को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि लंबे समय से चल रही जमाबंदी को सिविल अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर करने के अलावा रद्द नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने एल.पी.ए. संख्या 786/2018 में इस न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया जिसका

शीर्षक "झारखंड राज्य और अन्य बनाम इजहार हुसैन" था जिसमें इस न्यायालय की खंडपीठ ने माना था कि झारखंड राज्य में लंबे समय से चल रही जमाबंदी को रद्द करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, और उक्त निर्णय झारखंड राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8102/2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद अंतिम रूप ले चुका है।

22. म्यूटेशन कार्यवाही केवल राजकोषीय जांच की प्रकृति की होती है और राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेश भूमि संपत्ति में अधिकार, शीर्षक और हित का फैसला नहीं करते हैं। "गुजरात राज्य बनाम पाटिल राघव नाथा" (1969) 2 एससीसी 187 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि जहां भी भूमि संपत्ति के कब्जेदार के शीर्षक के संबंध में कोई विवाद है, राजस्व प्राधिकरण के लिए उचित तरीका पक्षों को एक सक्षम न्यायालय में भेजना है, न कि शीर्षक के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लेना। "पाटिल राघव नाथा" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "14. हमारा यह भी मानना है कि आयुक्त को मालिकाना हक के सवाल पर विचार नहीं करना चाहिए था। हमें लगता है कि जब किसी पक्ष द्वारा कलेक्टर या आयुक्त के समक्ष किसी अधिभोगी के मालिकाना हक को लेकर विवाद किया जाता है और विवाद गंभीर होता है, तो कलेक्टर या आयुक्त के लिए उचित तरीका यह होगा कि वे पक्षकारों को सक्षम न्यायालय के पास भेजें, न कि अधिभोगी के खिलाफ खुद मालिकाना हक के सवाल पर फैसला करें।"

23. रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों से पता चलता है कि निजी प्रतिवादी(ओं) ने पूर्व जमींदार द्वारा सदा हुकुमनामा या कबूलियत के आधार पर विषयगत संपत्तियों पर अधिकार, शीर्षक और हित का दावा किया है। झारखंड राज्य ने उनके दावे का खंडन करने के लिए पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। झारखंड राज्य द्वारा यह रुख अपनाया गया है कि खाता संख्या 383, खेवट संख्या 2 में भूमि के एक हिस्से से संबंधित छह रैयतों के नाम पर रिटर्न पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल किए गए थे और वे रैयत वे व्यक्ति नहीं हैं जिनके माध्यम से मोहम्मद जुल्फान अंसारी, अफजल हुसैन, धर्मेश सिंह, ललिता देवी और फुलवंती देवी या उनके पूर्ववर्ती हितधारक या उनके विक्रेता विषयगत संपत्तियों पर अधिकार, शीर्षक और हित का दावा कर रहे हैं। चिंतामनी ट्रस्ट द्वारा इसी तरह का विवाद उठाया गया है जो सूरजदेव सिंह के दावे को गंभीर चुनौती देता है।

24. उपर्युक्त तथ्यों में, लेटर्स पेटेंट अपीलों के इस बैच में जो प्रश्न विचारणीय है वह यह है कि क्या रिट कोर्ट निजी प्रतिवादी(यों) द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किए गए दावों की जांच कर सकता था। रिट कोर्ट आम तौर पर विवादित तथ्यों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है सिवाय जहां विवादित तथ्यों का निर्णय पक्षों द्वारा दायर हलफनामों के आधार पर किया जा सकता है। इस विषय पर कानून पूरी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि तथ्यों के विवादित प्रश्नों से जुड़ी एक रिट याचिका पर रिट कोर्ट द्वारा विचार किया जा सकता है बशर्ते कि विवादित तथ्यों को बिना किसी कठोर अभ्यास के निर्धारित किया जा सके। "गुणवंत कौर बनाम म्युनिसिपल कमेटी, भटिंडा" (1969) 3 एससीसी 769 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय को विवादित तथ्य पर विचार करने के अपने अधिकार क्षेत्र से महज इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा प्रश्न विचारणीय हो सकता और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम उल्हासनगर म्युनिसिपल काउंसिल" (१९७०) १ एससीसी ५८२ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए किसी पक्षकार को सिर्फ इसलिए सिविल मुकदमे के जरिए राहत मांगने के लिए कहना वैध नहीं होगा क्योंकि तथ्य का प्रश्न उठाया गया है। जैसा कि हमने देखा है, तथ्यों पर गंभीर विवाद हैं जिनके लिए पक्षों द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय की आवश्यकता होगी। ऐसे मामले में जहां रिट कोर्ट को पक्षों

द्वारा पेश किए गए संपत्ति के दस्तावेजों के संदर्भ में तथ्यों पर निर्णय देने की आवश्यकता होती है, रिट कोर्ट को कार्यवाही संचालित करने के अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, जो अनिवार्य रूप से सिविल कोर्ट के समक्ष एक परीक्षण की प्रकृति का होगा। रिट कोर्ट ने स्वयं दर्ज किया कि खाता संख्या ३८३ के अंतर्गत शामिल भूमि के एक हिस्से पर अधिकार, शीर्षक और ब्याज का दावा करते हुए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा चालीस रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।

25. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियां पूर्ण और बिना किसी बंधन के हैं, लेकिन रिट कोर्ट द्वारा शक्तियों का प्रयोग न्यायिक रूप से विकसित नियमों के अनुरूप होना चाहिए। और, ऐसे नियमों में से एक यह है कि पीड़ित पक्ष द्वारा उठाए गए दावे का निर्धारण प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यात्मक कब्जे के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि जहां मूलभूत तथ्य विवादित हैं। कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियां विवेकाधीन प्रकृति की हैं और इसका प्रयोग न्याय, समानता और अच्छे विवेक को आगे बढ़ाने के लिए विवेकपूर्ण होना चाहिए। यही कारण प्रतीत होता है कि रिट कोर्ट को राज्य-प्रतिवादी से हलफनामे लेने और औपचारिक हलफनामों पर कार्रवाई न करने की आवश्यकता होती है ताकि उसकी अंतरात्मा को संतुष्ट किया जा सके कि पीड़ित पक्ष द्वारा मांगी गई राहत कानून द्वारा वर्जित है, देरी और लापरवाही से ग्रस्त है या किसी सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगी। सीधे शब्दों में कहें तो आवेदक द्वारा की गई प्रार्थनाओं के समर्थन में रिट याचिका में पर्याप्त तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन केवल पीड़ित पक्ष के अधिकार के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद। "सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाम दोसु आर्देशिर भिवंडीवाला" (2009) 1 एससीसी 168 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रिट कोर्ट सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है और जहाँ भी आवश्यक हो, वह राज्य या उसके उपकरणों को सभी प्रासंगिक तथ्यों को सही और सटीक रूप से न्यायालय के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए उचित हलफनामा दायर करने का निर्देश दे सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "30. अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय यह विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या:
>
> (क) रिट याचिका के निर्णय में तथ्यों के कोई जटिल और विवादित प्रश्न शामिल हैं और क्या उन्हें संतोषजनक ढंग से हल किया जा सकता है;
>
> (ख) याचिका में सभी महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होते हैं;
>
> (ग) याचिकाकर्ता के पास विवाद के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक या प्रभावी उपाय है;
>
> (घ) अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाला व्यक्ति अस्पष्टीकृत देरी और लापरवाही का दोषी है;
>
> (ङ) किसी भी सीमा कानून द्वारा पूर्व दृष्टया वर्जित है;
>
> (च) राहत प्रदान करना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है या किसी वैध कानून द्वारा वर्जित है; और कई अन्य कारक।
>
> न्यायालय उचित मामलों में अपने विवेक से राज्य या उसके उपकरणों को निर्देश दे सकता है कि वे न्यायालय के विचार के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों को सही और सटीक रूप से रखते हुए उचित हलफनामा दायर करें और विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक हित शामिल हैं। ऐसे निर्देशों का राज्य द्वारा हमेशा

अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। सार्वजनिक कानून के तहत किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती कि राज्य ने रिट याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा, सरकारी प्रवक्ताओं के खोखले और आत्म-पराजित करने वाले हलफनामे या बयान अपने आप में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कानून के तहत किसी ऐसे उपाय में राहत देने का आधार नहीं बनते, जिसके लिए वह कानून के तहत अन्यथा हकदार नहीं है।"

26. पुंडाग गांव में खेवट नंबर 2 के खाता नंबर 383 के अंतर्गत आने वाली जमीनों के संबंध में न्यायालय में दायर किए गए मुकदमों की बड़ी संख्या से पता चलता है कि विषयगत संपत्ति पर निजी पक्षों के अधिकार को लेकर गंभीर विवाद हैं। रिट कोर्ट ने जालसाजी, राज्य अधिकारियों के साथ मिलीभगत और दस्तावेजों के निर्माण के गंभीर आरोपों को नजरअंदाज कर दिया। जैसा कि पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से पता चलता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड राज्य द्वारा निजी प्रतिवादी(ओं) के दावे को बिना किसी कारण के विवादित नहीं किया गया है। इन मामलों की परिस्थितियों में, यह न्यायालय निजी प्रतिवादी(ओं) के कब्जे के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं देगा, जिन्होंने मांग (जमाबंदी) को रद्द करने की कार्यवाही, या बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत धारा 4(एच) की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, या अतीत में इस न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के आधार पर उन्हें किराया रसीद जारी करने के लिए निर्देश मांग रहे थे। "ब्राउनसी हेवन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम पूल कॉर्पोरेशन" (1958) 1 ऑल ईआर 205 में, लॉर्ड एवरशेड, एम.आर. ने एक राय दी कि इस दृष्टिकोण के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्राधिकरण है कि लंबे समय से चले आ रहे एक निर्णय जिसके आधार पर कई लोगों ने समय के साथ अपने मामलों को व्यवस्थित किया है, को उच्च न्यायालय द्वारा हल्के में नहीं बदला जाना चाहिए, जो स्वयं निर्णय से पूरी तरह से बाध्य नहीं है। न्यायिक अनुशासन और स्वामित्व की आवश्यकता है कि हमें इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ द्वारा पारित आदेश का पालन करना चाहिए। लेकिन फिर, मिसाल के सिद्धांत का पालन सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नहीं है और अच्छे कारणों से समान शक्ति वाला एक समन्वय पीठ विचलन कर सकता है। जैसा कि हमने देखा है, बाध्यकारी परिस्थितियों में मोहम्मद मुस्लिम अंसारी को किराया रसीद जारी करने का आदेश डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 1119/2006 में पारित किया गया था, लेकिन अब झारखंड राज्य द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए हैं, जिसने दस्तावेजों में हेरफेर के बारे में गंभीर चिंताएं जताई हैं। यह भी काफी प्रासंगिक है कि बिहार काश्तकारी (रिकॉर्ड का रखरखाव) अधिनियम, 1973 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत अपील और पुनरीक्षण के लिए मंच प्रदान करने वाली एक वैधानिक व्यवस्था है। इसलिए हम मानते हैं कि केवल असाधारण परिस्थितियों और अनिवार्य कारणों के तहत, वैधानिक राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है और पीड़ित पक्ष के लिए उचित रास्ता सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

27. पूर्वोक्त कारणों से, हम डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 5365/2014, 3878/2012, 1262/2010, 7595/2012, 7967/2012 और 7972/2012 में पारित आदेशों में हस्तक्षेप करते हैं।

28. एल.पी.ए. संख्या 318/2022, एल.पी.ए. संख्या 319/2022, एल.पी.ए. संख्या 320/2022, एल.पी.ए. संख्या 369/2022 और एल.पी.ए. संख्या 406/2022 में रिट याचिकाकर्ताओं को ऊपर बताए अनुसार अपना उपाय करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

29. एल.पी.ए. संख्या 231/2022 आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। रिट न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है। रिट न्यायालय की टिप्पणी कि चिंतामणि ट्रस्ट सिविल न्यायालय का दरवाजा

खटखटा सकता है, को फिर से दोहराया जाता है। इस बीच, जब तक रिट याचिकाकर्ता को चिंतामणि ट्रस्ट द्वारा सिविल कोर्ट में जाने की प्रतीक्षा किए बिना, वैधानिक प्राधिकरण या सिविल कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर द्वारा पारित आदेश को चुनौती देकर विषयगत संपत्ति-V। पर अपने दावे के संबंध में निर्णय नहीं मिल जाता, तब तक किसी भी पक्ष के पक्ष में किराया रसीद जारी नहीं की जाएगी।

(श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे.)

(नवनीत कुमार, जे.)

यह अनुवाद ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।